वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 1-25/2011/स्था./चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"6. **भर्ती का तरीका.—**

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीके से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) कोषालय लिपिक वर्गीय सेवा के अधीक्षकों/लेखा सहायकों से पदोन्नति द्वारा;

(ख) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ग) कोषालय लिपिक वर्गीय सेवा तथा कोषालय लिपिक वर्गीय सेवा से भिन्न व्यक्तियों के चयन द्वारा जिन्होंने आयुक्त/संचालक द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण तथा न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो.

उपरोक्त रीति से छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा में भर्ती क्रमशः 5, 50 तथा 45 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी."

2. नियम 6 के उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(2) उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी."

3. नियम 11 के उप-नियम (दो) के खण्ड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(4) नियम 6 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों को आयुक्त/संचालक द्वारा जारी नियुक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर सेवा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा उनके नाम चयन सूची से विलोपित कर दिये जायेंगे."

4. अनुसूची-दो के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

सेवा का नाम/पद का नाम	भर्ती का तरीका	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा			
1. सहायक कोषालय अधिकारी	(क) कोषालय लिपिक वर्गीय सेवा के अधीक्षकों/लेखा सहायकों से पदोन्नति द्वारा.	05	आयुक्त/संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़."
2. उप कोषालय अधिकारी	(ख) लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा.	50	

(1)		(2)	(3)	(4)
3. सहायक लेखा अधिकारी 4. कनिष्ठ लेखा अधिकारी 5. व्याख्याता लेखा प्रशिक्षण केन्द्र 6. सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी.	(ग)	कोषालय लिपिक वर्गीय सेवा से भिन्न उन व्यक्तियों के चयन द्वारा, जिन्होंने आयुक्त/संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक एवं दो उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो.	35	
	(घ)	कोषालय लिपिक वर्गीय सेवा के उन व्यक्तियों के चयन द्वारा, जिन्होंने आयुक्त/संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक एवं दो उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो.	10	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 10-1/2014/मबावि/50.—श्री यशवंत जैन, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यकाल दिनांक 15-12-2013 को पूर्ण होने के फलस्वरूप अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम-2009 की धारा 7 (4) के निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय सदस्य श्री रजनीश शुक्ला को आयोग में अध्यक्ष पद पर नवीन नियुक्ति होने तक, आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे.

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 10-13/2013/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 2 की उपधारा (1) खण्ड (ड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2010/16 दिनांक 01-12-2010 एवं क्रमांक एफ 10-35/2010/16 दिनांक 17-06-2013 में आंशिक संशोधन करते हुए